फर्द अहकाम

जगन्नाथ बनाम सरकार वगै०

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

केस संख्या 318/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	20/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित पत्रावली आदेश के लिए विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील वादी की बहस को श्रवण किया गया। अतः वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज० भू-राजस्व अधि० को स्वीकार किया जाता है यथाविस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
318/2024	30/07/2024	20/01/2025

1. जगन्नाथ पुत्र कल्याण मीना जाति मीना, निवासी ग्राम डांगरवाडा खुर्द तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. जगदीश नारायण पुत्र कल्याण
3. ठाकरसी पुत्र रामचन्दा
4. रामप्रसाद पुत्र गोबिन्दा
5. रामेश्वर प्रसाद पुत्र कल्याण
6. विनय कुमार पुत्र जन्सीलाल
7. हरिनारायण पुत्र गोबिन्दा
8. एकता पुत्री जन्सीलाल
9. कमला पुत्री कल्याण
10. गुलाब पुत्री कल्याण
11. धन्नी पुत्री कल्याण
12. राजू पुत्री कल्याण
13. यशोदा देवी पत्नि कल्याण
14. जगन्नाथ पुत्र कल्याण

समस्त जाति मीना समस्त निवासी ग्राम डांगरवाडा खुर्द तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री किशनलाल :— वकील प्रार्थी।

दावा बाबत राजस्व नक्शा दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज0 भू राजस्व अधि0

—: निर्णय :—

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 117 रकबा 1.2600है0 जिसके मिलान क्षेत्रफलानुसार साबिक खसरा नम्बर 95/1 रकबा 5 बीघा भूमि ग्राम डांगरवाडा खुर्द पटवार हल्का लांगडियावास, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थी की कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 95/1 रकबा 5 बीघा का नक्शा व रकबा जो कि सही था उसी अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त करता आ रहा है लेकिन हॉल सेटलमेंट के कर्मचारियों ने जो कि प्रार्थी का नवीन खसरा नम्बर 117 रकबा 1.26है0 का नवीन नक्शा कायम किया गया था वह साबिक खसरा नम्बर 95/1 के नक्शा व कब्जा काश्त के बजाय हाल खसरा नम्बर 117 का नक्शा छोटा कर दिया व लगवा स्थित अप्रार्थीगण सं0 2 ता 14 की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 94 जिसके हाल खसरा नम्बर 122 रकबा 1.9500है0 के नक्शा मे मिलाते हुये खसरा नम्बर 122 का नक्शा बडा कर दिया गया व खसरा नम्बर 117 का नक्शा छोटा कर दिया जो गलत है। जबकि प्रार्थी का कब्जा काश्त खसरा नम्बर 95/1 के नक्शानुसार चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि खसरा नमबर 95/1 रकबा 5 बीघा का हाल सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों ने सैटलमेंट बाद जो हाल खसरा नम्बर 117 का नक्शा कायम किया जो कि पूर्व नक्शा व कब्जा काश्त के विपरित कायम किया। अतः उक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 95/1 रकबा 5 बीघा का नक्शा व कब्जा के विपरित हाल खसरा नम्बर 117 को जो नक्शा कायम किया गया है। उक्त हाल नक्शा को पूर्व नक्शा अनुसार दुरूस्त करते हुये अप्रार्थी सं0 2—14 की खातेदारी भूमि हाल खसरानम्बर 122

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

की जमाबन्दी में दर्ज रकबा से अधिक नक्शें को कम किया जावें। व प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पूर्व खसरा नम्बर 95/1 रकबा 5 बीघा के नक्शा व जमाबन्दी के रकबानुसार हाल खसरा नम्बर 117 रकबा 1.2600है0 के नक्शा दुरूस्त किये जाने के आदेश दिया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को तलबी रजि0 ए0डी0 द्वारा जारी की जाकर तलब किया गया। अप्रार्थीगण 2 ता 14 बावजूद सूचना के उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 2 ता 14 को बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 2 ता 14 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 1 से जाकर रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी सं0 1/पैरोकार सरकार ने अपने पत्रांक/एल0आर0/24/5192 दिनांक 07.10.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं0 1 /पैरोकार सरकार ने जवाब मे निवेदन किया कि आवेदित भूमि ग्राम डांगरवाडा खुर्द के खसरा नम्बर 117 रकबा 1.26है0 भूमि जगन्नाथ पुत्र कल्याण जाति मीणा सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिसके साबिक खसरा नम्बर 95/1 है। उक्त खसरा नम्बर 117 पर वादीगा कब्जा काश्त है। ग्राम डांगरवाडा खुर्द के गत राजस्व नक्शे अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा का मिलान करने पर खसरा नम्बर 117 साबिक खसरा नम्बर 95/1 तथा खसरा नम्बर 122 साबिक खसरा नम्बर 94 की सीमाओं में अन्तर प्रतीत होता है। खसरा नम्बर 117 के दक्षिण में पश्चिमी छोर की तरफ 4 मीटर मध्य में 8 मीटर तथा पूर्वी छोर की तरफ 26 मीटर का अन्तर प्रतीम होता है। जिसे नक्शें (ट्रेस) में लाल स्याही से दर्शाया गया है। जो शुद्दि योग्य है। अतः हाल नक्शें का साबिक नक्शें अनुसार शुद्व किया जाना उचित होगा। वकील प्रार्थी ने लिखित बहस पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

बहस वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व पैरोकार सरकार के जबाब का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम डांगरवाडा खुर्द, पटवार हल्का लांगडियावास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 95/1 हाल खसरा नम्बर 117 रकबा 1.2600है0 के वर्तमान नक्शें को तहसीलदार से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार रकबा बरारी करते हुए दुरूस्त कर सेटलमेंट से पूर्व खसरा नमबर 95/1 के अनुसार दुरूस्त किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 20.01.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ